

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध अपील वाद संख्या- 19/2014-15

—:आदेश:—

4-फारम सं० 563

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

715

की संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ															
12/19	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी दयाल चन्द्र महतो, पिता स्व० रूप लाल महतो, सा० चास, टोला सोलागीडीह, थाना चास, जिला बोकारो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद संख्या 94/2013-14 में दिनांक 07.08.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। साथ ही इनके द्वारा समय को छान्त करने हेतु U/S 5 Limitation Act. के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई। <table><tr><th colspan="5">विवादित भूमि</th></tr><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>चास</td><td>30</td><td>615, 623, 593, 605, 637, 626, 609, 643</td><td>3171, 3170, 3168, 3169, 3161, 3158, 3159, 3160</td><td>1.41½ए०</td></tr></table> अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चास द्वारा भू-मापी वाद सं० 94/2013-14 में दिनांक 07.08.2014 को पारित आदेश गलत एवं कानून के विरुद्ध है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेज पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि प्रथम पक्ष के पिता स्व० रूपलाल महतो द्वारा केवाला सं० 2411 दिनांक 02.05.1929 से मुची राम महतो का हिस्सा का दो पैसा अंश खरीदा था। पुनः प्रथम पक्ष की माँ पार्वती महताईन ने गंधु महतो एवं अन्य से केवाला सं० 2319 दिनांक 19.03.1940 से रकबा 65½ बीघा भूमि खरीदा इस तरह वंशानुगत क्रम में प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूमि प्राप्त हुआ। केवाला सं० 1387 दिनांक 09.02.1946 को निलाम खरीद कर बिनोदनी दासी ने आधी सम्पत्ति को बिक्री किया। माँ, पिता की मृत्यु के बाद प्रथम पक्ष लगातार राजस्व का भुगतान करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 13.05.2013 को अंचल कार्यालय, चास में भूमि का मापी कर सीमांकन करने हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु अंचल अधिकारी, चास द्वारा द्वितीय पक्ष के प्रभाव में आकर द्वितीय पक्ष के केवाला के आधार पर भूमि का मापी कर आदेश पारित किया गया एवं शेष भूमि का सीमांकन नहीं किया गया।	विवादित भूमि					मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चास	30	615, 623, 593, 605, 637, 626, 609, 643	3171, 3170, 3168, 3169, 3161, 3158, 3159, 3160	1.41½ए०	
विवादित भूमि																	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा													
चास	30	615, 623, 593, 605, 637, 626, 609, 643	3171, 3170, 3168, 3169, 3161, 3158, 3159, 3160	1.41½ए०													

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है। इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की दादी जिन्होंने केवाला जोत पट्टा सं० 2319 दिनांक 19.03.1940 गंधु महतो एवं अन्य से खरीदगी भूमि रकवा 65½ बीघा में से केवाला सं० 10065 दिनांक 01.07.1961 से रकवा 40 बीघा जमीन धनंजय महतो, अनाथ महतो एवं अन्य को बिक्री किया। अनाथ महतो ने केवाला सं० 1922 दिनांक 24.03.2006 को रकवा 1.16½ ए० भूमि बिक्री किया। तत्पश्चात् दीपक कुमार मोदी द्वारा केवाला सं० 3363 दिनांक 19.05.2009 से प्रियका गुप्ता पति मुकेश कुमार गुप्ता को रकवा 0.05ए०, केवाला सं० 2169 दिनांक 06.05.2009 से रूपक घोष को रकवा 0.04ए०, केवाला सं० 2967 दिनांक 06.05.2009 से बबीता देवी, पति भुवन सिंह चौधरी को रकवा 0.04ए०, केवाला सं० 3289 दिनांक 19.05.2009 से गुलाब देवी, पति हराधन कर्मकार को रकवा 0.03ए०, एवं केवाला सं० 1483 दिनांक 05.03.2009 से राम सिंह राम को रकवा 0.07ए० भूमि बिक्री किया गया। उपरोक्त सभी क्रेतागण अंचल कार्यालय, चास से दाखिल खारिज करवाकर पक्का मकान व बाउण्ड्री बनाकर दखलकार है। अन्त में इनके द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं० 94/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2014 को सही बताते हुए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया है एवं अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष विज्ञ अधिवक्ता एवं द्वितीय पक्ष को सूना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों, लिखित जवाब एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा सीमांकन हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील दाखिल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्का मकान एवं बाउण्ड्री होने का उल्लेख किया गया है, जिसका अपीलार्थी के द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील आवेदन Pre-mature होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

02/08/19
16/08/19